



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229489
CG-DL-E-08092021-229489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506]
No. 506]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितंबर, 2021

सा.का.नि. 620(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 484(अ), तारीख 9 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, पंद्रह दिन की अवधि समाप्ति से पूर्व, आक्षेपों या सुझावों को आमंत्रित करने के लिए जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 9 जुलाई, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता प्राप्त कोई आक्षेप या सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशक नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 10 के उपनियम 1(क) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(1ख) कोई व्यक्ति जो केवल घरेलू प्रयोजन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का विक्रय या वितरण करने के लिए विक्रय, स्टॉक या प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञप्ति या विद्यमान अनुज्ञप्ति के पुनर्विलोकन किए जाने के लिए आवेदन करता है और इस तरह रजिस्ट्रीकृत है उन्हें उपनियम (1क) में विनिर्दिष्ट विहित शैक्षिक अर्हता की अपेक्षा से छूट दी जाएगी।

(1ग) कोई व्यक्ति जो केवल घरेलू प्रयोजन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का विक्रय या वितरण करने के लिए विक्रय, स्टॉक या प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञप्ति के पुनर्विलोकन किए जाने के लिए आवेदन करता है और इस तरह रजिस्ट्रीकृत है, यदि अनुज्ञप्ति अधिकारी ने उसके आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की है तब अनुज्ञप्ति दी गई समझी जाएगी”।

3. उक्त नियमों के नियम 10 क के खंड (क) में “प्ररूप 3” शब्द और अंक के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप” में शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

4. उक्त नियमों के नियम 15 में,-

(क) उपनियम (2) में, “रजिस्ट्रर” शब्द के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में, “रजिस्ट्रर” शब्द के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) में, “रजिस्ट्रर” शब्द के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 37 में, उपनियम (1) में, “रजिस्ट्रर” शब्द के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 13035/10/2021-पीपी-1]

अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 1650 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे।

1. सा.का.नि. 474 (अ), तारीख 24 जुलाई, 1976
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999

7. सा.का.नि. 586(अ), तारीख 12 अगस्त, 1999
8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2006
9. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006
10. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009
11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013
13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014
14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 05 नवंबर, 2015,
15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख, 15 फरवरी, 2016,
16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 13 अगस्त, 2016
17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख, 1 फरवरी, 2017,
18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख, 6 फरवरी, 2017,
19. सा.का.नि. 1229(अ), तारीख, 9 अक्तूबर, 2017,
20. सा.का.नि. 1588(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2018,
21. सा.का.नि. 399(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2018,
22. सा.का.नि. 1204(अ), तारीख, 13 दिसंबर, 2018,
23. सा.का.नि. 11(अ), तारीख, 4 जनवरी, 2019,
24. सा.का.नि. 535(अ), तारीख, 30 जुलाई, 2019
25. सा.का.नि. 782(अ), तारीख, 14 अक्तूबर, 2019,
26. सा.का.नि. 07(अ), तारीख, 2 जनवरी, 2020
27. सा.का.नि. 355(अ), तारीख, 5 जून, 2020
28. सा.का.नि. 805(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2021

G.S.R. 620(E) —Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) number G.S.R. 484 (E), dated the 9th July, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 9th July, 2021;

And whereas, no objections or suggestions received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. (1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, after sub-rule (1A), the following *Sub-rules* shall be inserted, namely:-

“(1B) A person who applies for the grant of licence or renewal of existing licencee to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides commonly used for household purpose only and registered as such, shall be exempted from the requirement of educational qualification specified in sub-rule (1A).

(1C) A person who applies for the grant of licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides commonly used for household purpose only and registered as such shall be deemed to have granted a licence if the licensing officer did not grant him licence after expiry of a period of ninety days from the date of submission of his application”.

3. In rule 10A of the said rules, in clause (a), after the word and figure “Form III”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted.

4. In rule 15 of the said rules, -

(a) in sub-rule (2), after the word “register”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted;

(b) in sub-rule (3), after the word “register”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted;

(c) in sub-rule (4), after the word “register”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted.

5. In rule 37 of the said rules, in sub rule (1), after the word “register”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted.

[F. No. 13035/10/2021-PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794 (E), dated 13th August, 2016,
17. G.S.R.79(E), dated 1st February, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 6th February, 2017
19. G.S.R. 1229(E), dated 9th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 28th December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 25th April, 2018,
22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018,
23. G.S.R.11(E), dated 4th January, 2019,
24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019,
25. G.S.R. 782(E) dated 14th October, 2019,
26. G.S.R. 07(E) dated 2nd January, 2020,
27. G.S.R. 355(E) dated 5th June, 2020 and
28. G.S.R. 805(E) dated 30th December, 2020.